



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 04, सोमवार, शाके 1943-जनवरी 24, 2022
Magha 04, Monday, Saka 1943- January 24, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2022

एस.ओ.234 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 में प्रकाशित हुई है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7, 7ए व 8 व उनकी प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

7.	DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-intimation:MARRIAGE व 181 हैल्प लाईन नम्बर पर पूर्व सूचना दिये बिना विवाह संबंधित समारोह आयोजन करने पर एवं कोई भी व्यक्ति विवाह संबंधी समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने पर परन्तु बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।	10,000/-
7ए.	विवाह संबंधी आयोजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के डबल-डोज वैक्सीन नही लगाने, सामाजिक दूरी की पालना नही करने, फेस मास्क नही पहनने, नो मॉस्क-नो एन्ट्री की पालना नही करने, स्क्रीनिंग, स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना नही करने तथा विवाह समारोह की वीडियोग्राफी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नही करवाने पर।	10,000/-
8.	किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7 के उल्लंघन पर।	10,000/-

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।